# **e[;e=h tu ou ;ktuk**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार

## futh Hkfe ij o{kkjki.k çkRlkgu dh ;ktuk

झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाया जाना आवश्यक है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ–साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य में ''मुख्यमंत्री जन वन योजना'' लागू की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर–रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन–स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत अंश की प्रर्तिपूर्ति लाभान्वित को की जायेगी।

### 2- ;ktuk d mís';

**;ktuk d fuEufyf[kr mís'; g&**

**2-1** प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना।

**2-2** वृक्षारोपण के माध्यम से भू–जल संरक्षण करना।

**2-3** निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना।

**2-4** किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना।

**2-5** राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना।

### 3- ;ktuk d ?kVd

योजना के घटक निम्नलिखित हैः–

3.1 इस योजना के अन्तर्गत ब्लॉक वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं खेत की मेड़ पर रैखिक वृक्षारोपण किया जा सकेगा।

3.2. कार्य विवरणी–योजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों में सम्पन्न होगा, जिसमें वर्षवार लाभुक द्वारा वृक्षारोपण संबंधी निम्न कार्य संपादित किये जायेंगे :–

(क) प्रथम वर्ष –गड्ढा खुदाई, सुरक्षा घेरान बनाना, पौधा रोपण, दो कोड़नी निकौनी, उर्वरक/जैविक खाद/ कीटनाशक देना, पटवन एवं सुरक्षा आदि।

(ख) द्वितीय वर्ष– एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य एवं सुरक्षा कार्य।

(ग) तृतीय वर्ष – एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य, घेरान मरम्मति एवं सुरक्षा कार्य।

3.3 दो पौधों के बीच दूरी–निजी भूमि पर काष्ठ प्रजाति के रोपण हेतु 30cm x 30cm साईज के गढढे खोदे जायेगें तथा दो गढढ़ो के बीच 3m x 3m तथा मेड़ पर 2m x 2m दो पौधों के बीच की दूरी रखी जायेगी। फलदार पौधे के लिए 60cm x 60cm साईज के गड्ढे खोदे जायेंगे एवं 5m x 5m दो पौधों के बीच की दूरी रखी जायेगी। एक एकड़ में काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे, फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। मेढ़ पर फलदार पौधे नहीं लगाये जायेंगे।

3.4 वृक्षारोपण हेतु निर्धारित प्रजातियाँ—इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर काष्ठ प्रजातियों यथा शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल यूकेलिप्टस, एकेसिया एवं फलदार प्रजातियाँ यथा कलमी आम, कटहल, अमरूद, आवंला, बेल एवं लीची का वनरोपण कर सकेंगे। कालान्तर में यदि इन प्रजातियों से अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण किया जाना महसूस किया जाता है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अनुमति से अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा सकेगा।

3.5 वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता—विभागीय पौधशाला एवं उसमें उपलब्ध पौधों की पूर्ण सूची विभागीय वेबसाईट Forest.Jharkhand.Gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी। लाभुकों को विभागीय पौधशाला में उपलब्ध पौधों की आपूर्ति की जा सकेगी अथवा लाभुक पौधों की आपूर्ति अन्य श्रोतों से भी कर सकेंगें। फलदार पौधे एवं कलमी फलदार पौधे भारत सरकार के संस्थान HARP PALANDU, राज्य सरकार की पौधशालाओं से सरकार/संस्थान द्वारा निर्धारित विक्रय दर पर भी क्रय किये जा सकते हैं।

3.6 वृक्षारोपण किये गये पौधों की सुरक्षा का दायित्व लाभुक का होगा।

3.7. पात्रता – इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिये एक एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

## 4- ykHkqdk dk n; ikRlkgu jkf'k

4.1. इस योजना हेतु स्वीकृत वनरोपण दर के अनुरूप लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि लाभुक को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4.2 विभाग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण की वर्तमान दर के आधार पर अनुमान्य प्रति एकड़ फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु निम्न व्यय होगा :—

| Øekad | o{kkjksi.k | o'kkokj çLrkfor 0;; ¼jkf"k :Œ esa½ | | | dqy |
|---|---|---|---|---|---|
| | | çFke o'kZ | f}rh; o'kZ | r`rh; o'kZ | |
| 1 | फलदार प्रजाति | 22595.00 | 3149.00 | 3618.00 | 29362.00 |
| 2 | काश्ठ प्रजाति | 18284.00 | 5925.00 | 6487.00 | 30696.00 |

काष्ठ प्रजाति के पौधे पर प्रति पौधा 69.00 रू० तथा फलदार पौधों पर 192.00 रूपये कुल प्राक्लित व्यय होगा।

**4-3- mijksDr 0;; dk vkadMk dk vk/kkj ij**

**¼d½ vxj ik/kk dh vkifrZ ou foHkkx }kjk dh tk;xh rks bl ;kstuk ds v/khu ykHkqd dks fuEuor~ ikRlkgu jkf'k ns; gksxh %&**

| ;kstuk o'kZ | çfr ik/kk ns; çkRlkgu jkf"k ¼:Œ esa½ | |
|---|---|---|
| | dk'B çtkfr | Qynkj çtkfr |
| प्रथम वर्श | 11.00 | 46.00 |
| द्वितीय वर्श | 7.00 | 10.00 |
| तृतीय वर्श | 7.00 | 11.00 |
| **dqy jkf"k** | **25-00** | **67-00** |

¼[k½ vxj ykHkqd }kjk Lo;a ikS/ks dh O;oLFkk dh tkrh gS rks ykHkqd dks fuEuor~ ikfjJfed jkf'k
n`; gksxh %&

| ;kstuk o’kZ | çfr ikS/kk n; çkfRlkgu jkf”k ¼:Œ e½ | |
|---|---|---|
| | dk’B çtkfr | Qynkj çtkfr |
| प्रथम वर्श | 11.00 | 46.00 |
| द्वितीय वर्श | 7.00 | 10.00 |
| तृतीय वर्श | 7.00 | 11.00 |
| **dqy jkf”k** | **25-00** | **67-00** |

4-4- LFkkfir thfor ikS/kksa dh la[;k ds vk/kkj ij izfr o"kZ ykHkqd dks fu/kkZfjr ikfjJfed jkf'k dh izfrizfr dh tk;sxhA

4-5- foHkkx }kjk bl ;kstuk gsrq oujksi.k nj dk fu/kkZj.k izfr o"kZ fd;k tk,xk ,oa rnuqlkj ykHkqd dks n`; ikfjJfed jkf'k dk fu/kkZj.k gksxkA

5- ikfjJfed jkf'k izkIr djus gsrq vkosnu dh izfØ;k
5-1 foHkkx }kjk lekpkj i=ksa esa dUnh;d`r foKkiu izdkf'kr djkdj bl ;kstuk ds vUrxZr ikfjJfed jkf'k izkIr djus gsrq ykHkkfUorksa ls fofgr iz i= ¼vuqyXud&1½ esa vkosnu vkef=r fd;s tk;sxsA ykHkqd dks vkosnu i= ds lkFk fuEu dkxtkr layXu djuk vko';d gksxk %&
¼i½ Hkwfe LokfeRo ,oa dCtk ds laca/k esa vpy/kfèkdkjh dk izfrosnu ¼vuqyXud&2½
¼ii½ vuqca/k i= ¼vuqyXud&3½
¼iii½ ykHkqd ds cSad ikl cqd dh v|ru Nk;kizfr ftlesa ikfjJfed jkf'k izkIr dh tkuh gSA

5-2 bPNqd O;fDr fofgr iz i= ¼vuqyXud l0&1½ esa viuk ftyk ds ou ifj.My inkfèkdkjh ¼vuqyXud&4 esa mYysf[kr½ ds dk;kZy; esa lekpkj i=ksa esa bl ;kstuk gsrq foKkiu izdk'ku ds mijkar fu/kkZfjr le;lhek esa vkosnu dj ldsxkA foKkiu izfr o"kZ flrEcj ekg esa LFkkuh; lekpkj i=ksa esa izdkf'kr fd;k tk,xkA

5-3 ,d ls vfèkd O;fDr feydj Hkh bl ;kstuk ds vUrxZr eaM~ ds fdukjs ¼jf[kd o{kkjksi.k½ dk;Z dj ldrs gSA

5-4 vkosnu ikfIr ds rhu fnuks ds vUrxZr ou ifj.My inkfèkdkjh }kjk foHkkxh; MIS application ij viyksM fd;k tk;xkA vkWu.kkbZ vkosnu izkIr gksus ij vkosnu vLohdkj djrs gq, lwpuk vkosnd dks nh tk,xhA
6- p;u dh izfØ;k %
6-1 lacfèkr ou ifj.My inkfèkdkjh dafMdk 5-1 esa mYysf[kr dkxtkrks dh tkap djsxs ,oa ykHkqdks dk p;u dj lwph cuk;sxsA

6-2 mu 0;fDr;ksa dk ikFkfedrk nh tk;xh tks 1 ,dM+ ¼dk"B iztkfr;ka 445] Qynkj o{k 160 rFkk jsf[kd o{kkjksi.k esa 445 ikS/ks½ ls vf/kd Hkwfe esa Cykd o{kkjksi.k djsaxs bPNqd gksaxsA

6-3 foHkkx }kjk fu/kkZfjr y{; ls vf/kd vkosnu izkIr gksus ij vkosndksa dh mifLFkfr esa ykWVjh fudky dj ykHkqdksa dk p;u fd;k tk;xkA

6-4 p;fur ykHkqdksa dh lwph foHkkxh; osclkbV ij viyksM dh tk,xh rFkk lacaf/kr ou iz.kM+y inkf/kdkjh }kjk ykHkqd dks lwfpr fd;k tk;xkA

6-5 lacaf/kr ou iz.kMy inkf/kdkjh }kjk iz.kMyokj p;fur ykHkqdksa dh lwph lacaf/kr vij iz/kku eq[; ou laj{kd ,oa funs'kd] ikSèkk okfudh@eq[; ou laj{kd] fo'o [kk| dk;ZØe dks o{kkjksi.k gsrq ikS/kksa dh 0;oLFkk djus gsrq izsf"kr dh tk;xhA

6-6 foHkkxh; }kjk bl ;kstuk dks ykHkqdksa dks iz.kkyh foojf.kh ftlesa o{kkjksi.k LFky dk ft;ksa dkjfMusV rFkk QksVksxzkQ Hkh 'kkfey gksaxs] ftyokj lwph/kfjr dh tk;xhA

7- ykHkqd dks dh tkus okyh izksRlkgu jkf'k ds Hkqxrku dh izfØ;k

7-1 ykHkqdksa }kjk futh Hkwfe ij fd;s x;s o{kkjksi.k ds fy;s izksRlkgu jkf'k izkIr djus gsrq vuqyXud l0&4 esa of.kZr inkf/kdkjh dks dk;ky; esa mÙkjthfork ds vk/kkj ij nkok ekg uoEcj esa fd;k tk;xkA nkok i=k= vuqyXud&5¼d½ ,oa 5¼[k½

7-2 ou iz.kMy inkf/kdkjh }kjk lE;d tkWpksijkUr ekg fnlEcj esa mldk lR;kiu djds tuojh ekg esa mRrjthfork ds vk/kkj ij izksRlkgu jkf'k dk Hkqxrku ykHkqd ds cSd [kkrs esa lh/ks gLrkUrfjr fd;k tk;xkA

7-3 ;fn izFke l= f}rh; o"kZ dh fdLr ds :i esa f}rh; i{k dks vfrjsd jkf'k dk Hkqxrku gks x;k gksxk rks vfre fdLr dh jkf'k Hkqxrku djrs le; iwoZ esa Hkqxrk; ,slh jkf'k dk lek;kstu djus ds i'pkr~ gh vfre Hkqxrku fd;k tk;xkA

7-4 izksRlkgu jkf'k dk Hkqxrku ykHkqdksa ds cSd [kkrs ds ek/;e ls fd;k tk;xkA lacaf/kr ou iz.kMy inf/kdkjh ls fu/kkZfjr i=k= esa lR;kiu ds mijkUr Hkqxrku gsrq Lohdfr izkIr gksus ij lh/ks lacaf/kr vkosnd ds cSd [kkrs esa jkf'k gLrkarfjr dj nh tk;xhA

8- foHkkxh; inkf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa ds dÙkZO; ,oa nkf;Ro

8-1 ou foHkkx ds lacaf/kr inkf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa dk nkf;Ro bPNqd 0;fDr;ksa ls vkosnu i= izkIr djuk] ykHkqdksa dk p;u djuk] ekxZ tkus ij ikS/ks miyC/k djkuk] vko';d rduhfd tkudkjh iznku djuk] izksRlkgu jkf'k ds nkos ds lR;kiu i'pkr~ fu;ekuqlkj ns; izksRlkgu jkf'k dk Hkqxrku djuk rFkk ;kstuk dh lQyrk gsrq mUgsa ekxZn'kZu iznku djus rd lhfer gksxkA

8-2 iR;sd o"kZ bl ;kstuk ds vUrxZr ykHkqd 0;fDr;ksa dh foojf.kh ¼vuqyXud&6½ foHkkxh; osclkbV ij viyksM dh tk;xhA

9- ;kstuk esa yxk;s x;s o{kksa dk LokfeRo

^^tu&ou ;ktuk^^ d rgr mxk; x; o{kk dk i.k LokfeRo lcfèkr ykHkd e fufgr gkxkA o{kk d ikru d le; lcfèkr ou ieMy inkfèkdkjh }kjk fuèkkfjr le; lhek d vUnj ikru dh vuefr ,o ifjogu vuKk i= fuxr fd;k tk;xkA bl dk;l gr foHkkx bl ;ktuk e fd; x; o{kjki.k dk MkVkcl lèkkfjr djxkA

vuyXud&1

**vkonu i=**

## e[;e=h tu&ou ;ktuk ¼futh Hkfe ij o{kkjki.k ikRlkgu ;ktuk½ vrxr o{kkjki.k dju gr vkonu i= dk i:i

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रादेशिक वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल /
विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल............................

विषय '– मुख्यमंत्री जन–वन योजना (निजी भूमिपर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन

मैं निजी भूमि पर वृक्षारोपन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण करना चाहता हूॅ/चाहती हूॅ। मेरी भूमि के संबंध में तथा अन्य जानकारी निम्नानुसार है :–

### ¼d½ vkond dh O;fDrxr tkudkjh

1. आवेदककानाम :–
2. आधार संख्या :–
3. पिता/माता/पतिकानाम :–
4. आवेदककामोबाईल/दूरभाष नं0 एस0टी0डी कोडसहित :–
5. पत्र व्यवहारका पता :–
6. जाति–सामान्य/अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछडावर्ग :–

### ¼[k½ vkond dh futh Hkfe ftle o{kkjki.k fd;k tkuk iLrkfor g] dk fooj.k

7. ग्राम–
8. राजस्वथाना एवंथाना नं0 –
9. अंचल–
10. जिला–
11. खाता नं0 –

12. खेसरा नं0 –

13. रकबा (एकड में) –

¼x½ **o{kkjksi.k gsrq tkudkjh**

14. रोपण का प्रकार—ब्लॉक वृक्षारोपण / खेत की मेंड पर वृक्षारोपण

15. ब्लॉक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0 में) / खेत की मेड की लम्बाई (मीटर में)

16. रोपित किये जानेवाले पौधों की प्रजातिवार संख्या –

| Ø0 l0 | dk"B iztkfr | la[;k | Qynkj iztkfr | la[;k |
|---|---|---|---|---|
| 1- | | | | |
| 2- | | | | |
| dqy | | | | |

¼/k½ **lyXu vko";d nLrkostksa dh lwph**

17. भूमि स्वामित्व एवं कब्जा के संबंध में अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन

18. आधारकार्ड की छायाप्रति (यदि सम्भव हो)

19. अनुबंध पत्र

20. बैंक पासबुक की छायाप्रति

21. रद्‌द की हुईचेक

¼M½ **cSad [kkrkfooj.k**

22. बैंक क ानाम :–

23. बैंक का पता :–

24. खाता संख्या :–

25- IFSC Code :-

स्थान :–.............................................  आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

दिनांक :–.................................................................  तथा पूरा पता।

अनुलग्नक–2

# vpykf/kdkjh dk ifronu dk ik:i

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

.......................................................................

.......................................................................

विषय :–

प्रसंग :– आपका पत्रांक– दिनांक–

महा  ाय,

आपके प्रासंगिक प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नभूमि विवरण पर निम्नवत व्यक्ति के स्वामित्व में कब्जा है। अतः उन्हें इस जन–वन योजना के अन्तर्गत पौधे लगाने पर योजना के अनुरूप निर्धारित प्रोत्साहन राि  ा का भुगतान किया जासकताहै :–

(1) भूमि का विवरण

जिला–

प्रखण्ड–

ग्राम–

खता–

प्लॉट–

(2) स्वामित्व एवं कब्जा रखनेवाले व्यक्ति का नाम एवं पता जिसे भुगतान करना होगा।

(3) बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code –

अंचलाधिकारी

# e[;e=h tu&ou ;ktuk (futh Hkfe ij o{kkjki.k ikRlkgu ;ktuk) vrxr o{kkjki.k gr vuc/k i=

मैं एतद् घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सूचनायें सत्य है। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा / करूँगी एवं वन विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन करूँगा / करूँगी। यदि ऊपर में दी गयी सभी जानकारी / कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा / होऊँगी और मैं मानता / मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक / दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस योजना की सभी शर्त्तों का पालन करूँगा / करूँगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा / करूँगी तथा परिपक्वता से पहले एवं वन विभाग की अनुमति के बिना इन वृक्षों को नहीं काटूँगा / काटूँगी।

स्थान :– ............................

दिनांक :– ............................ आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

---

## ikflr jlhn

श्रीमान / श्रीमती .................................................................................. पिता / माता / पति ....................................................

वन प्रमण्डल का नाम ................................................................... वन क्षेत्र का नाम .......................................................

प्रखण्ड का नाम ......................................................................................... जिला का नाम ................................................

पिन कोड – ......................................................................। ''मुख्यमंत्री जन वन योजना'' (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया, जिसका क्रमांक...................... ......................... है।

स्थान :– ...........................

दिनांक :– ........................... प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर<br>पूरा नाम एवं पदनाम

vuqyXud&4

## ^^eq[;ea=h tu ou ;kstuk**

# (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

**futh Hkwfe ij o{kkjksi.k izksRlkgu dh ;kstuk ds dk;kZUo;u gsrq ftykokj ou iz.kMy inkfèkdkfj;ksa dh lwph**

| Øe la0 | ftyk dk uke | ou çe.My inkfèkdkjh] ftuds }kjk ;kstuk dk dk;kZUo;u djk;k tk;sxk |
|---|---|---|
| 1 | राँची | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची |
| 2 | सिमडेगा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा |
| 3 | गुमला | |
| 4 | चाईबासा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा |
| 5 | सरायकेला–खरसावां | |
| 6 | पूर्वी सिंहभूम | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर |
| 7 | लतेहार | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार |
| 8 | चतरा | |
| 9 | गढ़वा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा |
| 10 | मेदनीनगर | |
| 11 | हजारीबाग | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग |
| 12 | रामगढ़ | |
| 13 | कोडरमा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा |
| 14 | गिरीडीह | |
| 15 | देवघर | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर |
| 16 | जामताड़ा | |
| 17 | दुमका | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका |
| 18 | पाकुड़ | |
| 19 | खूँटी | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, चाईबासा |
| 20 | गोड्डा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, दुमका |
| 21 | साहेबगंज | |
| 22 | लोहरदगा | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, डालटेनगंज |
| 23 | बोकारो | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची |
| 24 | धनबाद | |

vuqyXud&5¼d½

## e[;e=h tu&ou ;ktuk ¼futh Hkfe ij o{kkjki.k ikRlkgu ;ktuk½
## आवेदक द्वारा जीवित पौधों के प्रतिशत संबंधित स्वयं जारी घोषणा–पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम ....................................................................................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती ............................................ पिता / माता / पति .................................... ........... ग्राम ......................................... प्रखण्ड .................................... जिला ............................... का निवासी हूँ। मेरे द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि, प्लौट संख्या......................, खाता नं0 / खेसरा नं0 ...............................(ग्राम...... ...................................................) क्षेत्रफल .............................. एकड़ में ............................ (पौधों की संख्या) काष्ठ / फलदार पौधों / रूट–शूट का ब्लॉक / मेड़ पर वृक्षारोपण वर्ष .............................. कराया गया है, जिसमें .................................. (पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं / ..................... रूट–शूट स्थापित हैं। पौधों की औसतन उँचाई .......................... फीट है। जीवित पौधों के .............................. उत्तरजीविता प्रतिशत के आधार पर मुझे योजना के अंतर्गत रोपण वर्ष ................................... की प्रोत्साहन राशि रू0 .............................. की पात्रता बनती है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि मेरे बैंक खाता संख्या ..................................................................... बैंक का नाम एवं पता ......................................................... बैंक का I.F.S.C. कोड ........................................... में भुगतान करने की कृपा करें। इस खाता से संबंधित पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

vkond dk

gLrk{kj

¼iijk uke½ ------------------------------------------------------

frfFk ------------------------------------

## IR;kiu

निरीक्षण दिनांक ............................................को................................(पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं। पौधों की औसतन उँचाई ..........................................फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत ................................है।

प्रोत्साहन राशि रू.....................................आवेदक के बैंक खाता क्रमांक.........................................बैंक का नाम एवं पता....................................................बैंक का [illegible] कोड.........................................में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

gLrk{kj

सत्यापनकर्त्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

vuqyXud &5¼[k½

# i=

## eq[;ea=h tu&ou ;kstuk ¼futh Hkwfe ij o`{kkjksi.k izksRlkgu ;kstuk½
## द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम ..............................................................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती ........................................ पिता / माता / पति ................................ ............................... ग्राम ....................................... प्रखण्ड ................................... जिला ............................... का निवासी हूँ। मेरे स्वामित्व की भूमि, खाता नं0 / खेसरा नं0 .............................. (ग्राम .......................................) क्षेत्रफल ............................... एकड़ में ...................... (पौधों की संख्या) काष्ठ / फलदार पौधों / रूट–शूट का ब्लॉक / मेड़ पर वृक्षारोपण वर्ष .............................. में मेरे द्वारा कराया गया है। अभी इस प्लॉट पर .................. .........................(पौधों की संख्या) जीवित है।

vkosnd dk

gLrk{kj

¼iwjk uke½ ------------------------------------------ ------------

frfFk ---------------------------- ---------

## lR;kiu

निरीक्षण दिनांक ............................................को...............................(पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं। पौधों की औसतन उँचाई ..........................................फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत ...............................है।

प्रोत्साहन राशि रू.....................................आवेदक के बैंक खाता क्रमांक........................................बैंक का नाम एवं पता...................................................बैंक का I.F.S.C. कोड........................................में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

gLrk{kj

सत्यापनकर्त्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

vuqyXud
&6

# >kj[k.M ljdkj
## ou ,oa i;kZoj.k foHkkx
### ;ksktuk dk uke &eq[;ea=h tu ou ;kstuk ¼futh Hkwfe ij o`{kkjksi.k izksRlkgu dh ;kstuk½

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमण्डल का नाम :– ................................................................ जिला का नाम ...................................

| ØE | ç[k.M dk uke | ou {ks= dk uke | iapk;r dk uke | jktLo xzke ¼Vksyk½ | fdlku dk uke ,oa firk uke | [ksr dk jcok ¼,dM+ e½ | [kkrk | [kljk | ikS/kksa dh la[;k | | ekckby la[;k | tkfr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | dk'B | Qyokj | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

**dk;ky; vkns'k l[;k & 24 jkph&2]    fnukad & 25@4@16**

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या–4/यो. बजट–42/2010–2371 व.प., दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।
समिति द्वारा समीक्षोपरान्त ''मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना'' निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजनाश फलदार प्रजातिश वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वल संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर–विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली ''मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना'' निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजनाश फलदार प्रजातिश वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वि॒ीय वर्ष 2016–17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

**o{kkjki.k dh vuqlfpr dk;l nj**

**;kstuk dk uke % **e[;ea=h tu ou fodkl ;kstuk**¼futh Hkfe ij o{kkjki.k izkRlkgu dh ;kstuk½**

**ikS/kks dh l[;k ifr ,dM     %     160 ikS/ks ¼Qynkj@ dyeh ikS/k½**

**etnjh ifr ekuo fnol ¼:Œ eas½   %     221-61**

**Lifl x 5 eh- — 5 eh-   iztkfr;k¡& dyeh vke] dVgy] veýn] vkoyk] csy] yhph vkfn**

| ØŒ | dk;l dk fooj.k | bdkbl | Ekkuo fnol | Ek tnjh ¼:Œ eas½ | Lkexh ¼:Œ eas½ | dy 0;; ¼:Œ eas½ | çfr ikS/kk 0;; ¼:Œ eas½ | ykHkkd dks n; çkRlkgu jkf"k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d | iFke o"kl ¼vfxze dk;l ,oa lekiu dk;l½ | | | | | | | |
| 1 | झाड़ी घेरान (2.5 कृ 6 मानव दिवस) | एकड़ /2.5 चेन | 15 | 3324.15 | 62.50 | 3386.65 | 21.16 | 10.58 |
| 2 | मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'कृ 2'कृ2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित | एकड़ | 26.00 | 5761.86 | 0.00 | 5761.86 | 36.01 | 18.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थल पर संचित करना / 160 पौधे प्रति एकड़ | | | | | | |
| 3 | पौधों का क्रय / 50 रू० प्रति पौधा (परिवहन सहित) / 160 पौधे प्रति एकड़ | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 | 50.00 | पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 25 रू० प्रति पौधा की दर से रा‍ि देय होगी |
| 4 | वृक्षारोपण | एकड़ | 24 | 5318ण61 | 0.00 | 5318.64 | 33.24 | 16.62 |
| 5 | दो कोड़नी एवं निकौनी | एकड़ | 4.00 | 886.44 | 0.00 | 886.44 | 5.54 | 2.77 |
| 6 | पौधों की सुरक्षा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | लाभुक द्वारा की जायेगी |
| 7 | समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी. / यूरिया, जैविक खाद, किटना‍क आदि) | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 10.00 | 5.00 |
| | **;kx** | | **69-00** | **15291-00** | **9662-50** | **24953-59** | **155-95** | **52-97 or Rs. 53.00** |
| **[k** | **f}rh; o'k ¼lik'k.k dk;½** | | | | | | |
| 1 | दो कोड़नी एवं निकौनी | एकड़ | 4.00 | 886.44 | 0.00 | 886.44 | 5.54 | 2.77 |
| 2 | समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी. / यूरिया, जैविक खाद, किटना‍क आदि) | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 5.00 | 2.50 |
| 3 | पानी पटवन | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 10.00 | 5.00 |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | लाभुक द्वारा की जायेगी |
| | **;kx** | | **4-00** | **886-44** | **2400-00** | **3286-44** | **20-54** | **10-27 or Rs. 10.50** |
| **x** | **r`rh; o'k ¼lik'k.k dk;½** | | | | | | |
| 1 | दो कोड़नी एवं निकौनी | एकड़ | 4.00 | 886.44 | 0.00 | 886.44 | 5.54 | 2.77 |
| 2 | समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी. / यूरिया, जैविक खाद, किटना‍क आदि) | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 5.00 | 2.50 |
| 3 | पानी पटवन | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 | 10.00 | 5.00 |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | लाभुक द्वारा की जायेगी |
| 5 | घेरान मरम्मती / 25 चेन प्रति एकड़ | एकड़ | 2.5 | 554.03 | 0.00 | 554.03 | 3.46 | 1.73 |
| | **;kx** | | **6-5** | **1440-47** | **2400-00** | **3840-47** | **24-00** | **12-00** |
| | **Idy ;kx** | | **79-50** | **17618-00** | **14462-50** | **32080-50** | **200-50** | **75-50** |

vij ièkku e|[; ou lj{kd] fodkl
>kj[k.M] jkph

Kkikd & 592 fnukd & 25@4@16

ifrfyfi %

1- ièkku lfpo] ou i;kZoj.k ,oa tyok;q ifjorZu foHkkx] >kj[k.M ljdkj
2- ièkku e|[; ou lj{kd] >kj[k.M] jkph
3- ièkku e|[; ou lj{kd] tSo fofoèkrk lj{kd ,oa e|[; oU; ik.kh ifrikyd] >kj[k.M] jkph
4- ièkku e|[; ou lj{kd&lg&dk;Zdkjh funs'kd] cat Hkwfe fodkl i"kn] >kj[k.M] jkph
5- lHkh vij ièkku e|[; ou lj{kd
6- lHkh e|[; ou lj{kd
7- lHkh {ks=h; e|[; ou lj{kd
8- lHkh ou lj{kd
9- lHkh ou ie.My inkfèkdkjh
10- bfUol dUn] >kj[k.M dk foHkkxh; osclkbV ij Mkyus grq dk lpukFkZ ,oa vko';d dkjZokbZ grq
ifs"krA

vij ièkku e|[; ou lj{kd] fodkl
>kj[k.M] jkph

# कार्यालय :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रा|ची

## 'kf) i=

### dk;ky; vkns'k l[;k & 35 jkph&2] fnukd & 2@5@16

इस कार्यालय के आदेश संख्या 23 दिनांक 25.04.16 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु राज्य स्तरीय गठित स्थाई समिति की अनुशंसा के आलोक में नया संशोधित दर निर्धारित किया गया था। योजना सूत्रण के क्रम में पाया गया कि दर तालिका के क्रम संख्या कश — 1 के कॉलम 9, क्रम संख्या खश — 1 के कॉलम 4 और क्रम 3 के कॉलम 5 एवं क्रम संख्या गश — 1 के कॉलम 4 और क्रम 3 के कॉलम 5 में टंकण भूलवश राशि में त्रुटि हो गई है, जिसे सुधार कर इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त निर्गत आदेश संख्या 23 दिनांक 25.04.16 में उपरोक्त वर्णित संख्या में आंशिक संशोधन कर नया संशोधित दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :

### o{kkjki.k dh vuq lfpr dk;l nj

### ;ktuk dk uke % **eq[;eU=h tu ou fodkl ;ktuk**¼futh Hkfe ij o{kkjki.k ikRlkgu dh ;ktuk½

**ikèkk dh l[;k ifr ,dM % 445 ikèk ¼dk"B itkfr;k dk oujki.k½**

**etnjh ifr ekuo fnol ¼:Œ e½ % 221-61**

**Liflx 3 eh- — 3 eh- ,o eM d fdukj 2 eh0 — 2 eh- vkfn**

**itkfr;k&'kh le] lkxoku] xEgkj] egkxuh] Dykuy] ;dkfylVl] ,dkfl;k**

| ØŒ | dk;l dk fooj.kh | bdkbl | Ekkuo fnol | Ek tnjh ¼:Œ e½ | Lkexh ¼:Œ e½ | dqy 0;; ¼:Œ e½ | çfr ik/kk 0;; ¼:Œ e½ | ykHkqd dk n; çkRlkgu jkf"k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d | iFke o"kl ¼vfxe dk;l ,o lekiu dk;½ | | | | | | | |
| 1 | मृदा कार्य (0.3 मी. कृ 0.3 मी. कृ 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 445 पीट प्रति एकड़ (संरेखन सहित) | एकड़ ／2.5 चेन | 10.00 | 2216.00 | 0.00 | 2216.00 | 4.98 | 2.49 |
| 2 | झाड़ी घेरान (2.5 कृ 6 मानव दिवस) | एकड़ ／2.5 चेन | 15.00 | 3324.15 | 62.50 | 3386.65 | 7.61 | 3.81 |
| 3 | पौधों का क्रय ／50 रू० प्रति पौधा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 8900.00 | 8900.00 | 20.00 | पौधे विभागीय स्तर से |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (परिवहन सहित)/160 पौधे प्रति एकड़ | | | | | | उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 10 रू० प्रति पौधा की दर से राि । देय होगी |
| 4 | वृक्षारोपण | एकड़ | 10.00 | 2216.00 | 0.00 | 2216.10 | 4.98 | 2.49 |
| 5 | दो कोड़नी एवं निकौनी | एकड़ | 11.00 | 2437.71 | 0.00 | 2437.71 | 5.48 | 2.74 |
| 6 | पौधों की सुरक्षा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | लाभुक द्वारा की जायेगी |
| 7 | समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि) | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 1.57 | 0.79 |
| | **;kx** | | **46-00** | **10194-06** | **9662-50** | **19856-56** | **44-62** | **12-31 or Rs. 12.50** |
| **[k** | **f}rh; o’kZ ¼lkiks’k.k dk;Z½** | | | | | | | |
| 1 | दो कोड़नी एवं निकौनी | एकड़ | 6.00 | 1329.66 | 0.00 | 1329.66 | 2.98 | 1.49 |
| 2 | समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि) | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 350.45 | 350.45 | 0.79 | 0.39 |
| 3 | पानी पटवन | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 4450.00 | 4450.00 | 10.00 | 5.00 |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | लाभुक द्वारा की जायेगी |
| | **;kx** | | **6-00** | **1329-66** | **4800-48** | **6130-11** | **13-77** | **6-88 or Rs. 7.00** |
| **x** | **r`rh; o’kZ ¼lkiks’k.k dk;Z½** | | | | | | | |
| 1 | दो कोड़नी एवं निकौनी | एकड़ | 6.00 | 1329.66 | 0.00 | 1329.66 | 2.98 | 1.49 |
| 2 | समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि) | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 350.45 | 350.45 | 0.79 | 0.39 |
| 3 | पानी पटवन | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 4450.00 | 4450.00 | 10.00 | 5.00 |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | एकड़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | लाभुक द्वारा की जायेगी |
| 5 | घेरान मरम्मती/25 चेन प्रति एकड़ | एकड़ | 3.00 | 664.83 | 0.00 | 664.83 | 1.49 | 0.75 |
| | **;kx** | | **9-00** | **1994-49** | **4800-45** | **6794-94** | **15-26** | **7-630** |
| | **ldy ;kx** | | **61-00** | **13518-21** | **19263-40** | **32781-61** | **73-65** | **27-50** |

**vij iz/kku eq[; ou laj{kd] fodkl**
**>kj[k.M] jk¡ph**

# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रा|ची

**dk;ky; vkn'k l[;k & 43 jkph&2]** **fnukd & 27@6@16**

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या–4 / यो. बजट–42 / 2010–2371 व. प., दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना अगले पुनरीक्षण तक लागू रहेगी।

## o{kkjksi.k dh vuqlfpr dk;l nj
## ;kstuk dk uke % **eq[;ea=h tu ou fodkl ;kstuk**¼futh Hkfe ij o{kkjksi.k iksRlkgu dh ;kstuk½

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू० में) : 221.61

फलदार प्रजाति हेतु स्पेसिंग 5 मी. कृ 5 मी. — फलदार प्रजातियाँ:– कलमी आम, कटहल, अमरूद, आँवला, बेल, लीची आदि

काष्ठ प्रजाति हेतु स्पेसिंग 3 मी. कृ 3 मी. एवं क्लोनल, मेड़ के किनारे 2 मी. कृ 2 मी. — काष्ठ प्रजातियाँ:– शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

| ØE | dk;l dk fooj.kh | bdkbl | Ekkuo fnol | Ek tnjh ¼:Œ e½ | Lkexh ¼:Œ e½ | dqy 0;; ¼:Œ e½ | çfr ik/kk 0;; ¼:Œ e½ | ykHkqd dks n; çkRlkgu jkf"k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| d | iFke o"kl ¼vfxze dk;l ,oa lekiu dk;½ | | | | | | | |
| 1 | मशीन द्वारा ट्रैंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43. 1 से 9.1 प्रति ात संवेदन लाभ घटाकर दर) | प्रति चेन | 2 | 374.86 | 1963.79 | 2338.68 | | एक पैच (patch) में 5 एकड़ या 5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर ट्रेंच घेरान की अनुमति होगी। तथा 5 एकड़ के लिए अधिकतम 30 चेन या वास्तविक कार्य के आधार पर ही राशि देय होगी जिसका 50 प्रतिशत व्यय का अनुदान वन विभाग द्वारा किया जायेगा। |

नोट :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची के कार्यालय आदेश संख्या 35 दिनांक 02.05.2016 द्वारा काष्ठ प्रजाति के पौधे एवं आदेश संख्या 24 दिनांक 25.04.2016 द्वारा कलमी प्रजाति के पौधे के वनरोपण कार्य दर में उपरोक्त कार्य दर को सम्मिलित किया जाता है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक — 877 दिनांक — 27/6/16

**ifrfyfi %**

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची